राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 25/2025

अपीलांटः–

1. श्री खूमाराम पुत्र श्री खेताराम जाति आचार्य, निवासी समदड़ी रोड़, राजाराम होस्टल के सामने, बालोतरा जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंटः –

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

आदेश

दिनांक 16.07.2025

अपीलार्थी श्री खूमाराम पुत्र श्री खेताराम जाति आचार्य, निवासी समदड़ी रोड़, राजाराम होस्टल के सामने, बालोतरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 02.07.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय को आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु सक्षम कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निस्तारित की जाये।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय को आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, होना बताया गया। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 16.07.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर
प्रथम अपील प्राधिकारी
बालोतरा
जिला कलक्टर बालोतरा